न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 414/2016

रामकल्याण पुत्र गोपाल मेहर सा0 सीसवाली तह0 मांगरोल जिला बारां

—वादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. कान्हा पुत्र मन्ना बैरवा निवासी सीसवाली तह0 मांगरोल
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92, 188 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री मनोज कुमार आर्य
दायरा दिनांकः 15.07.2016 निर्णय दिनांक : 09.04.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी ग्राम सीसवाली तह0 मांगरोल का गरीब मजदूर पैसा काश्तकार व्यक्ति है जो खेतीबाडी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। ग्राम सीसवाली में राजस्व भूमि खाता संख्या 101 खसरा नं0 2 रकबा 0.23 है0 व खसरा नम्बर 878 रकबा 0.90 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.13 है0 भूमि ग्राम सीसवाली में स्थित है जिसे आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया है। वर्णित आराजी खाता संख्या 101 किता 2 रकबा 1.13 है0 ग्राम सीसवाली राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी क्रम 1 कान्हा बेटा मन्ना बैरवा सीसवाली के नाम दर्ज है। उक्त राजस्व भूमि बारानी द्वितीय अनउपजाऊ ऊबड खाबड खाल नाल के रूप में थी जिसे बडी मुश्किल से काश्त योग्य बनाया। वादी उक्त आराजी पर 50–60 वर्षो से निरन्तर व निर्बाध रूप से काश्त करता चला आ रहा है जिसे आज तक किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति ने विरोध नही किया है। वादी का कब्जा सम्वत 2005 से पूर्व से चला आ रहा है इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावी होने की दिनांक 15.10.1955 से पूर्व से ही वादी का कब्जा काश्त होने के आधार पर भी वादी स्वतः ही खातेदार कृषक हो चुका था। तथा वादी अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा करा पा सकने के अधिकारी व नालिशी है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम सीसवाली की आराजी खाता संख्या 101 किता 2 रकबा 1.13 है0 कृषि भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जाये। तथा वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि उसके खातेदारी एवं कब्जे काश्त की वाद में वर्णित आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना तो स्वयं उत्पन्न करे और ना ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 15.07.2016 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन, तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1 बावजूद सूचना आज दिनांक तक भी उपस्थित नही होने से प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी कम 2 तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है के द्वारा दिनांक 09.04.2018 को जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जो कि निम्नानुसार है:–

1. बिन्दू सं0 1 कानूनी है। स्वीकार है।
2. बिन्दू सं0 2 आंशिक जो रिकोर्डेड तथ्य है वे स्वीकार है। वादी द्वारा 20–25 साल से उपजाऊ बनाना ओर 4–5 लाख खर्च करना अस्वीकार है।
3. बिन्दू सं0 3 अस्वीकार है।
4. बिन्दू सं0 4 अस्वीकार है। भूमि वर्तमान मे प्रतिवादी नं0 1 के नाम खातेदारी मे है।
5. बिन्दु नं0 5 अस्वीकार है। भूमि प्रतिवादी नं0 1 कान्हा बेटा मन्ना बैरवा के नाम भूमि आराजी खसरा नं0 2 रकबा 0.23 है0 एवं खसरा नं0 878 रकबा 0.90 है0 वाके माल सीसवाली खातेदारी में अंकित है।
6. बिन्दु नं0 6 अस्वीकार है। विस्तार से विवरण विशेष निवेदन में अंकित है।
7. बिन्दु नं0 7 अस्वीकार है।
8. बिन्दु नं0, 8, 9 व 10 कानूनी है।
9. बिन्दु नं0 11, 12 कानूनी है जो अस्वीकार है।

विशेष निवेदनः–

यह है कि वर्तमान में ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल की हाल आराजी खसरा नं0 2 रकबा 0.23 है0, खसरा नं0 878 रकबा 0.90 है0 कुल किता 2 रकबा 1.13 है0 राजस्व रेकार्ड में अंकित है। वादीगण के वादपत्र में मात्र एडवर्स पजेशन के फलस्वरूप वादी किसी भी प्रकार से टाईटल के हकदार नही बनता है।

इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबंन्धित है, जिससे कृषि भूमि पर केवल कब्जे अथवा लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है, विधिसंगत तथ्य भी यही है कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी के अधिकार नहीं किये जा सकते, चाहे कब्जा कितना भी लम्बा क्यों न हो। इस संबंध में माननीय न्यायालयों के गत निम्नाकिंत निर्णयो का भी दृष्टांत किया जाना समीचीन होगा–

	केवल लम्बे कब्जे के आधार पर वाद नही लाया जा सकता है (परमसुख बनाम स्टेट 1978, आर.आर.डी. 482)
2	किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। (रामसिंह बनाम पतिराम, 1996 आर.आर.डी. 389 पेज 391)
3	केवल मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। (राजस्थान राज्य बनाम गिरधारीलाल, 1988 आर.आर.डी. 78)

2011(2) 721

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर फुल बेंच

श्रीमति मीनाक्षी हुजा– चैयरपर्सन
श्री आनन्द कुमार– मेम्बर
श्री तारा चंद सहारन– मेम्बर
श्री प्रमिल कुमार माथुर– मेम्बर
श्री बजरंगलाल शर्मा– मेम्बर

उनवानी– जगदीश एवं अन्य बनाम श्री सीताराम एवं अन्य

रेफरेन्स टी0ए0 नं0 2964/जयपुर ऑफ 1997 निर्णय दिनांक– 03 जून, 2011

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 232–परिसीमा अधिनियम 1963–अनुच्छेद 64 व 65–रेफरेन्स–खातेदारी अधिकार का प्रतिकूल कब्जा के आधार प्रदान किये जा सकते हैं– काश्तकारी अधिनियम से संबंधित मामलो में परिसीमा अधिनियम के प्रावधान सीमित तौर पर लागू होते हैं– प्रतिकूल कब्जा के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान करने का प्रावधान नहीं तथा न्यायालय काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं कर सकते–नया कानून प्रतिपादित करने की राजस्व मण्डल को विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है– निर्णीत, प्रतिकूल कब्जा के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। (पैरा 77)

अतः राजहित में माननीय न्यायालय से उक्त वाद अन्तर्गत सारहीन/तथ्यो से परे होने से एवं कब्जा होने से मात्र एडवर्स पजेशन के बेस पर जो वाद लाया है वह अविलम्ब राजहित एवं न्यायहित में खारिज फरमाने की कृपा करें।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। वादी के अधिवक्ता श्री मनोज कुमार आर्य ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यो को दोहराया है जिसे उन्होने क्रमशः अपने दावा में अंकन किया है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, प्रदर्शो एवं सुनी गयी बहस एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्श पर पहुचा है कि वादी ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल की हाल आराजी खसरा नं0 2 रकबा 0.23 है0, खसरा नं0 878 रकबा 0.90 है0 कुल किता 2 रकबा 1.13 है0 पर काबिज काश्त है एवं मात्र एडवर्स पजेशन के आधार पर उक्त आराजी के

त्व रेकार्ड में खातेदार कृषक दर्ज करवाना चाहता है। परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबंन्धित है, जिससे कृषि भूमि पर केवल कब्जे अथवा लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है, विधिसंगत तथ्य भी यही है कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी के अधिकार नहीं किये जा सकते, चाहे कब्जा कितना भी लम्बा क्यों न हो। अतः वाद वादी अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया।